

23.04.25

पत्रावली पेश हुई। पैरोकार राज उपस्थित। अग्रार्थी को बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुआ तथा अग्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई करते हुये जवाब बंद किया जाता है। पैरोकार राज को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अग्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि में से बिना स्वीकृति के 4 पेड़ों को काटा गया है। आता RTA की धारा 86 के अन्तर्गत अग्रार्थी के विरुद्ध 100/- रुपये प्रति पेड़ जुर्माना लगाया जाकर अवशुगत पेड़ों की नियमानुसार निलामी करवाकर ग्रह राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते हैं। विस्तृत निर्णय प्रथम से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली का तरीका तर्कमूलक होकर दायित्व दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर तुलने न्यायालय में सुनाया गया।

MAL
23.04.25
(किरण पाल)
RAS